क्रम-संख्या—612

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 27, 1900 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2516/सत्रह-वि-1—60-78

लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह 1 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1975 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) इसे 18 जून, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(एक) उपधारा (2) में, खंड (छ) में, शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जायगा ;

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(4) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिए, उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उक्त उपधारा के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकारी होगा ।"

धारा 18 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) में, शब्द "जल संस्थान" के पश्चात् के शब्द "जो धारा 20 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो," रख दिये जायेंगे ।

धारा 19 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"19—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों और जिनके लिए धारा 18 के अधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जल संस्थान की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जायगा और तदुपरान्त ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जल निगम को जल संस्थान समझा जायगा और ऐसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझा जायगा ।"

जल संस्थान के रूप में जल निगम

धारा 20 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"20—(1) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता के लिए गठित जल-संस्थान में एक अध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:—

जल संस्थान का गठन

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

(च) नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी ।

(2) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कोई अधिकारी, जिसे जिला-मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) निगम के दो प्रतिनिधि;

(घ) उस जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य);

(ङ) एक अधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(3) किसी अन्य जल-संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदेन;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो;

(ग) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि;

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थानीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल-संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी जिनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा;

(च) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का मुख्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।"

धारा 25 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, खंड (6) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि टैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय, देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताव को जल-संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई के बहुमत से पारित नहीं कर दिया गया हो।"

धारा 49 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(एक) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(2-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल-संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-सम्भरण या सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है तो वह, जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उस जल-संस्थान या स्थानीय निकाय की, जल-संभरण या सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश के कार्यान्वयन की अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।"

(दो) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के उपबन्धों" रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (2) के अधीन" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 99 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 99 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द और अंक "15 अगस्त, 1976" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

10—जहां जल संस्थान की शक्तियां मूल अधिनियम की धारा 19 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व थीं, अधीन नगर महापालिका को प्रदत्त कर दी गयी हों, वहां महापालिका इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, ऐसी शक्तियों का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता वाले जल संस्थान का गठन न कर दिया जाय।

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2516(2)/XVII-V-1—60-1978;

Dated Lucknow, September 18, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978:

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 28 of 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 1, 1978.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. 43 of 1975.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) It shall be deemed to have come into force on June 18, 1975."

3. In section 4 of the principal Act— Amendment of section 4.

(i) in sub-section (2), in clause (*g*), *for* the word "three" the word "five" shall be *substituted* ;

(ii) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(4) Instead of attending a meeting of the Nigam himself, a member referred to in clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section (2) may depute an officer not below the rank of Deputy Secretary in his department, a member referred to in clause (*e*) of that sub-section may depute an officer not below the rank of Deputy Director in his department and a member referred to in clause (*f*) of that sub-section may depute an officer not below the rank of Joint Director in his department, to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote."

4. In section 18 of the principal Act, in sub-section (3), *after* the words "A Jal Sansthan" the words "not being a Jal Sansthan referred to in sub-section (1) or sub-section (2) of section 20," shall be *inserted*. Amendment of section 18.

5. *For* section 19 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of new section for section 19.

Jal Nigam as Jal Sansthan.

"19. The State Government may, by notification, direct that in such rural areas as are specified in the notification, for which no Jal Sansthan has been established under section 18, all or any of the powers, duties and functions of a Jal Sansthan under any provisions of this Act shall be exercised, discharged or performed by the Jal Nigam ; and thereupon for the purposes of exercising, discharging or performing such powers, duties or functions the Jal Nigam shall be deemed to be the Jal Sansthan and the date of such notification shall be deemed to be the date of constitution of the Jal Sansthan."

6. *For* section 20 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:— Substitution of new section for section 20.

Constitution of Jal Sansthan.

"20. (1) A Jal Sansthan constituted to have jurisdiction over the local area of a Nagar Mahapalika shall consist of a Chairman who shall be the Nagar Pramukh of the Nagar Mahaplika (*ex-officio*), and the following other members, namely—

(*a*) a General Manager, to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works ;

(*b*) a Joint Director of Medical and Health Services to be nominated by the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh ;

(*c*) three Sabhasads of the Nagar Mahapalika nominated by the State Government ;

(*d*) two representatives of the Nigam ;

(*e*) the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh ;

(*f*) the Mukhya Nagar Adhikari of the Nagar Mahapalika.

(2) A Jal Sansthan constituted to have jurisdiction over the local area of a Municipal Board shall consist of a Chairman who shall be the President of the Municipal Board (*ex officio*), and the following other members, namely:—

(*a*) a General Manager, to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works ;

(*b*) an officer subordinate to the District Magistrate nominated by the latter ;

(*c*) two representatives of the Nigam ;

(*d*) Deputy Chief Medical Officer (Health) of the District in which the head office of the Municipal Board is situate ;

(*e*) an officer nominated by the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh ;

(*f*) two elected members of the Municipal Board, to be nominated by the State Government.

(3) Any other Jal Sansthan shall consist of a Chairman appointed by the State Government, and the following other members, namely:—

(*a*) the Collector of the District in which the head office of the Jal Sansthan is situate, *ex officio* ;

(*b*) the senior-most officer of the Community Development Department having his headquarter within the area of the Jal Sansthan ;

(*c*) a General Manager, to be appoined by the Nigam with the approval of the State Government, who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works ;

(*d*) two representatives of the Nigam ;

(*e*) one nominee of the State Government from amongst the elected heads or members of the local bodies of each district within the jurisdiction of the Jal Sansthan :

Provided that where the number of districts within the jurisdiction of the Jal Sansthan is less than five, the number of such nominees shall be five out of which at least one shall be from each district ;

(*f*) the Chief Medical Officer of the district in which the head office of the Jal Sansthan is situate. "

Amendment of section 25.

7. In section 25 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (vi), the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that no decision to introduce or amend such tariff shall be taken except by a special resolution in that behalf brought after giving such notice as may be prescribed, and passed by the majority of two-thirds of the members of the Jal Sansthan."

Amendment of section 49.

8. In section 49 of the principal Act—

(i) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2-A) If at any time the State Government is satisfied that a Jal Sansthan or a local body has mismanage the water supply or sewerage services or both, as the case may be, or has occasioned loss to its property, it may, after giving an opportunity of explanation to the Jal Sansthan or local body, by order, transfer the management of water supply or sewerage services of that all Sansthan or local body direct to the Nigam, and such order shall have effect for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government:

Provided that the State Government may, by order, extend the period of operation of its original order from time to time, so however that such extension shall not exceed two years in the aggregate:;"

(ii) in sub-section (3), *for* the words, brackets and figure "provisions of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "provisions of sub-section (2) or sub-section (2-A)" shall be *substituted* ;

(iii) in sub-section (4), *for* the words, brackets and figure "under sub-section (2)", the words, brackets, figure and letter "under sub-section (2) or (2-A)" shall be *substituted*.

Amendment of section 99.

9. In section 99 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (2), *for* the word and figures "August 15, 1976", the word and figures "September 30, 1978" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted* ;

(*b*) sub-section (3) shall be *omitted*.

Transitory provisions.

10. Where the powers of a Jal Sansthan have been conferred on a Nagar Mahapalika under section 19 of the principal Act as it stood before the commencement of this Act, the Mahapalika shall notwithstanding any amendment in the principal Act, made by this Act, continue to exercise such powers until a Jal Sansthan is constituted to have jurisdiction over the local area of such Nagar Mahapalika under the provisions of the principal Act as amended by this Act.

Ordinance no. 1978.

Repeal and savings.

11. (1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

ए0पी0—ए0पी0 243 सा० (विवा0)—18-9-78—(2140)—1978—750(मेक0)।